छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918920
Email - office.rera.cg@gov.in, website - https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 35 / रेरा / 2019 / 2657 रायपुर, दिनांक 26 / 11 / 2019

/ / परिपत्र / /

विषय :– रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति अद्यतन करने के संबंध में।

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियमम, 2016 की धारा 11 में प्रमोटर्स द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित कतिपय जानकारियों / विवरणों के त्रैमासिक रूप से अद्यतन किये जाने संबंधी प्रावधान उपबंधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 17 / रेरा / 2018 / 562, दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन हेतु दिनांक 31.10.2019 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी।

द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन में कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण कार्यालयीन परिपत्र क. 32 / 2437, दिनांक 24.10.2019 के माध्यम से निर्धारित तिथि 30.11.2019 नियत की गई थी।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्राधिकरण के वेब पोर्टल में व्यापक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन अनुसार द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन करने हेतु पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन की अंतिम निर्धारित तिथि 31.12.2019 की जाती है। उक्त संशोधित समयावधि के भीतर जानकारियों अद्यतन न करने की स्थिति में परिपत्र क्रमांक 17 की कंडिका 4 में वर्णित विलंब शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर